नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जि. गौतमबुद्ध नगर

No. NOIDA/CAP/2015/65
30/4/15

सार्वजनिक सूचना

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संख्या - 21 सन् 2014 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य एवं मूल प्रार्थना पत्र संख्या 95 सन् 2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 28 अप्रैल, 2015 को पारित आदेश के अनुपालन में सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार से वायु प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति/संस्था/निकाय द्वारा वायु प्रदूषित करने सम्बन्धी क्रिया कलाप (यथा - प्लास्टिक व कूड़ा आदि जलाना) तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये जाये तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशो/दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । अन्यथा उनके विरूद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें रू0 5000 का अर्थदण्ड एवं सजा भी हो सकती है ।

ऐसे प्रकरणों के दृष्टिगत होने पर कोई भी व्यक्ति या संस्था प्राधिकरण की वेब साइट www.noidaforcitizens.com, शिकायत कक्ष दूरभाष नम्बर 0120 - 2425025, 2425026 पर अपनी शिकायत तथा प्रदूषणकारी व्यक्ति/संस्था/निकाय का नाम दर्ज करा सकते है, जिससे प्राधिकरण द्वारा उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके ।

आज्ञा से -

(वी0 के0 पवार)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी(प्रसार - प्रचार), नौएडा को दो हिन्दी व दो अग्रेजी के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराने हेतु ।
2. कम्प्युटर प्रभारी को प्राधिकरण की वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा